ग्रामीण विकास विभाग,
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)
शासन सचिवालय, जयपुर
(E mail : DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN)

क्रमांक F61(127)PS/SSAAT/2024-25/ दिनांकः ई हस्ताक्षरित

कार्यालय आदेश

संयुक्त शासन सचिव महोदया, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार की ओर से दिनांक 29.05.2026 को प्रातः 11 बजें से सभी राज्यों के आयुक्त महात्मा गॉधी नरेगा व निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण यूनिट की विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली गई थी। उक्त बैठक में दिनांक 1 जुलाई, 2026 से लागू की जा रही VB-G RAM- G योजना के कियान्वयन के संबंध में सामाजिक अंकेक्षण यूनिट की ओर से की जाने वाली निम्न कार्यवाही समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

1. सोसायटी की ओर से VB-G RAM- G योजना हेतु अलग से खाता खुलवायें जाने, बजट हैड आवंटित करवाये जाने की कार्यवाही के बारे में निर्देश दिये गये कि इस संबंध में दिनांक 23.05.2026 को आयोजित बैठक में सामाजिक अंकेक्षण यूनिट्स को VB-G RAM- G योजना का अलग से खाता खुलवाने व बजट हैड आवंटित करवाने के निर्देश दिये गये थे परन्तु अभी तक भी राज्य की सोसायटी द्वारा अलग से खाता खोले जाने व बजट हैड आवंटित करवाये जाने की कार्यवाही नहीं की गई है।

   इस संबंध में मुख्य लेखाधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि बैठक में दिये गये निर्देशानुसार सोसायटी के संबंध में अलग से बजट प्रोविजन करवाने, RBI में खाता खुलवाने, SLS का कियेशन करवाये जाने की कार्यवाही तत्काल कर पालना रिपोर्ट आगामी बैठक से पूर्व प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

2. 1 जुलाई, 2026 से प्रारंभ हो रही VB-G RAM- G योजना के बारे में NIRDPR के द्वारा प्रशिक्षित किये गये मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से सोसायटी के सभी संसाधन व्यक्तियों की योजना के बारे में क्षमता सर्वधन व वृहद जानकारी हेतु 30 जून,2026 से पूर्व प्रशिक्षण दिये जाने की कार्यवाही की जावें।

   सोसायटी की ओर से विभिन्न संसाधन व्यक्तियों की क्षमता संवर्धन हेतु विभाग के निर्देशानुसार प्रशिक्षण के संबंध में विस्तृत कलैण्डर तैयार कर दिनांक 22 मई,2026 को NIRDPR हैदराबाद को प्रेषित किया जा चुका है, परन्तु प्रशिक्षण शाखा द्वारा इस सबंध में न तो संबंधित जिला कार्यक्रम समन्वयक तथा अतिक्ति जिला कार्यक्रम समन्वयक को सोसायटी की ओर से कोई पत्र भिजवाया गया है और न ही संबंधित मास्टर ट्रेनर/ जिला संसाधन व्यक्ति द्वारा

Signature valid
Digitally signed by Sanwar Mal Verma
Designation : Director
Date: 2026.06.01 18:08:35 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 22564376
M e-Sign

प्रशिक्षण के संबंध में की गई तैयारी के बारे में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। सामाजिक विकास विशेषज्ञ व प्रशिक्षण प्रभारी को निर्देशित किया जाता है कि सोसायटी की ओर से NIRDPR को प्रेषित किये गये प्रशिक्षण कलैण्डर अनुसार प्रशिक्षण आयोजित करवाये जाने हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाही करते हुए संबंधित जिला संसाधन व्यक्ति/ मास्टर ट्रेनर से समन्वयक/सम्पर्क कर कलैण्डर के अनुसार सभी संसाधन व्यक्तियों का प्रशिक्षण आयोजित करवाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

3. भारत सरकार की ओर से सामाजिक लेखा परीक्षा के संबंध में नियम बनाये जाने के बाद सोसायटी की ओर से सामाजिक अंकेक्षण करवाये जाने के संबंध में नियम बनवाये जाने की कार्यवाही तत्परता से करवायी जावें।

इस संबंध में कार्यालयाध्यक्ष से यह अपेक्षा है कि पूर्व में सोसायटी की ओर से सामाजिक अंकेक्षण किये जाने के संबंध में बनाये गये नियमों के अनुसार ही VB-G RAM- G योजना के सामाजिक अंकेक्षण हेतु नियम बनवाये जाने की कार्यवाही संबंधित शाखा से करवायें जाने की कार्यवाही प्रारंभ करें।

4. महात्मा गॉधी नरेगा योजना के अन्तर्गत सोसायटी को भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से वर्ष 2026–27 हेतु प्रथम किश्त के रूप में आवंटित राशि 57664000 का उपयोग अतिशीघ्र कर उपयोगिता प्रमाणपत्र भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग का भिजवाये जाने की कार्यवाही की जावें।

इस संबंध में मुख्यलेखाधिकारी एवं कार्यालयाध्यक्ष सोसायटी की लेखा शाखा में लम्बित विभिन्न संसाधन व्यक्तियों के मानदेय का भुगतान, कार्मिको के वेतन–भत्ते, प्रशिक्षण पर हुए व्ययों का भुगतान/पुर्नभरण तथा विभिन्न प्रकार के लम्बित बिल जिनका भुगतान किया जाना शेष है, का नियमानुसार भुगतान 15 जून,2026 तक किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें तथा प्रतिदिन किये गये/हुए भुगतान का विवरण निम्न हस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें।

5. सोसायटी में कार्यरत ग्राम संसाधन व्यक्तियों, ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों, जिला संसाधन व्यक्तियों, राज्य संसाधन व्यक्तियों व सामाजिक विकास विशेषज्ञ के खातों का आधार सीडिंग करवाये जाने की कार्यवाही करें। बैठक के दौरान शेयर की गई पीपीटी के अनुसार सोसायटी में कार्यरत/पंजीकृत 26190 विभिन्न संसाधन व्यक्तियों में से मात्र 836 संसाधन व्यक्तियों का आधार सीडिंग होना पाया गया इसे संयुक्त सचिव महोदय द्वारा गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिये गये कि सामाजिक अंकेक्षण यूनिट में कार्यरत संसाधन व्यक्तियों का आधार सीडिंग केम्पेन के रूप में किया जाकर 30 जून,2026 तक सभी संसाधन व्यक्तियों का आधार सीडिंग करवाये जाने की कार्यवाही आवश्यक रूप से पूर्ण की जावें।

इस बारे में सोसायटी कार्यालय में कार्यरत प्रोग्रामर को निर्देश दिये जाते है कि आयुक्त महात्मा गॉधी नरेगा कार्यालय की आईटी शाखा से इस संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सामाजिक अंकेक्षण यूनिट राजस्थान में कार्यरत/पंजीकृत विभिन्न संसाधन व्यक्तियों

Signature valid

Digitally signed by Sanwar Mal Verma
Designation : Director
Date: 2026.06.01 18:08:35 IST
Reason: Approved

का आधार सीडिंग का कार्य 25 जून, 2026 तक आवश्यक रूप से पूर्ण करवाये जाने की कार्यवाही करें तथा प्रतिदिन की प्रगति की रिपोर्ट प्रातः 10 बजे तक आवश्यक रूप से उपलब्ध करवायें।

6. सोसायटी की ओर से किये गये सामाजिक अंकेक्षण वर्ष 2019–20 से वर्ष 2026–27 तक के संबंध में मनरेगा वेबसाईट के एमआईएस पोर्टल के R-9.3.2 के अनुसार लम्बित प्रकरण जिनमें अनुपालना रिपोर्ट अपलोड की जानी है या वित्तीय अनियमितता तथा वित्तीय विचलन जिनमें वर्णित राशि की वसूली की जानी है के बारे में अभियान चलाकर बकाया एटीआर अपलोड करवाने तथा वित्तीय राशि की वसूली संबंधित कार्यकारी एजेन्सी से करवाये जाने की कार्यवाही की जावें।

इस संबंध में मुख्य लेखाधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि संबंधित शाखा के साथ बैठक कर आवश्यक कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत करें विभिन्न जिलो से प्राप्त हुई अनुपालना रिपोर्ट का संबंधित पत्रावली पर परीक्षण कर प्रस्तुत करें तथा लम्बित अनुपालना रिपोर्ट व वित्तीय अनियमितता/ विचलन के प्रकरणों में राशि की वसूली के संबंध में कार्यकारी एजेन्सी द्वारा की गई कार्यवाही की नियमित मोनेटरिंग करते हुए साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जावें।

मुख्य लेखाधिकारी एवं कार्यालयाध्यक्ष, प्रोग्रामर तथा सामाजिक विकास विशेषज्ञ को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त बिन्दुओं में दिये गये निर्देशों के क्रम में की गईं कार्यवाही की बिन्दुवार रिपोर्ट दिनांक 05.06.2026 तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

(सांवर मल वर्मा)
निदेशक

क्रमांक F61(127)PS/SSAAT/2024-25/ दिनांकः ई–हस्ताक्षरित

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1.मुख्य लेखाधिकारी,SSAAT
2.प्रोग्रामर, SSAAT
3.सामाजिक विकास विशेषज्ञ, SSAAT
4.संबंधित शाखा प्रभारी, SSAAT

निदेशक

Signature valid

Digitally signed by Sanwar Mal Verma
Designation : Director
Date: 2026.06.01 18:08:35 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 22564376
M e-Sign